



F.NRC/NCTE/F-7/RJ-849/2007

25458-25464

Date: 21 AUG 2008

APN 029811

**ORDER**

WHEREAS In terms of Section 15(1) of the NCTE Act, 1993, Ramanand T. T. College, Mahavir Colony, Rangpur Road, Kota (Raj.) - 324002 has submitted an application (code No.04045) to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for **STC Course** of two year duration with an annual intake of 50 (Fifty Only) students.

2. AND WHEREAS on scrutiny of the application submitted by the institution, the documents attached therewith the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, the Committee is satisfied that the Institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the Secondary Teacher Education programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 15(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition Ramanand T. T. College, Mahavir Colony, Rangpur Road, Kota (Raj.) - 324002 for conducting **STC Course** of two year duration with an annual intake of 50 (Fifty Only) students under clause 7(12) of Regulation dated 13.01.2006 subject to fulfilment of the following:

- (i) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund account into a joint account to be operated along with an official of the Northern Regional Committee.
- (ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

4. Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and the State Government etc, wherever applicable.

5. The Institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

6. If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulation and Orders made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

Cont.....02

::02::

7. The Institution shall maintain & update the Website as per provisions of NCTE Regulations.

8. The staff appointed is to be rectified by the University and the copy of same is to be submitted to this office for records.

By order,

(S. S. Rana)  
Under Secretary

The Manager to Govt. of India  
Department of Publications, (Gazette Section)  
Civil Lines, Delhi-110 054

Copy to

1. The Principal, Ramanand T. T. College, Mahavir Colony, Rangpur Road, Kota (Raj.) - 324002.
2. The Secretary, Dept. of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001.
3. The Secretary, Education, Govt. of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
4. The Registrar, Departmental Examination, Bikaner, Rajasthan.
5. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Rajasthan, Directorate, Bikaner (Rajasthan).
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bhadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.
7. Office order file/Institution file.

  
Under Secretary



विषय :- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शिक्षक सत्र 2007-08 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए।

उपरोक्त विषय-वस्तु निम्नानुसार निम्नलिखित 19 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम के साथ प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2007-08 हेतु नियमानुसार का उल्लेखित में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
1	श्री मूल ज्योतिष, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय लालसाह, वासा	STC	50
2	अलंकार महिला टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल विशनावाला सिरसी रोड जयपुर	STC	50
3	डॉ० सधाकृष्ण टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, कुवानन सिटी, नागौर	NTT	50
4	महाराणा प्रताप एम टी टी विद्यालय, बसेडी, धौलपुर	NTT	50
5	राजस्थान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर	STC	50
6	आनन्द शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, भरतपुर	STC	50
7	वरदा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, नीम का थाना, सीकर	STC	50
8	चौधरी परमेश्वर गोपाल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नोहर डिवीजन बाईपास भाधरा, हनुमानगढ़	STC	50
9	गैन्धी देवी शिक्षण संस्थान, जयपुर	STC	50
10	एस.एन. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, धौलपुर	STC	50
11	राजत महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज विहार हीरापुरा, जयपुर	STC	50
12	इंडियन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जयपुर	STC	50
13	मानव शक्ति धीमेन्द्र कॉलेज ऑफ एज्युकेशन सगरिया, हनुमानगढ़	STC	50
14	गीता को-एज्युकेशन ट्रेनिंग कॉलेज घडसाना, श्रीगंगानगर	STC	50
15	डॉ० राजेश प्रताप नर्सरी टी टी स्कूल, बसेडी, धौलपुर	NTT	50 (सीट वृद्धि)
16	श्री रघुनाथ एल नर्सरी ट्रेनिंग एज्युकेशन इस्टीमेटेड बलारानगढ़ सीकर	STC	50
17	रामानन्द टी टी कॉलेज नगौर कॉलेजी, कोटा	STC	50
18	नहरजी सूरजनाथ स्कूल टी टी कॉलेज, भरतपुर	STC	50
19	राजदुलारी महिला शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल हिन्डीन सिटी जयपुर	STC	50

From: Principal  
 Rama Mand T.T. College S.T.C.  
 Mahavir colony Rampur Road Kotar  
 Ph: 0744-2460184  
 M.No: 94142-27069

क्रमशः.....2

- उपरोक्त संस्थाओं को प्रवेश प्रक्रिया के आरम्भ के लिए आवश्यक कार्यवाही करवाई जावे।
1. प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तों के आरम्भ के लिए आवश्यक कार्यवाही करवाई जावे।
  2. शोधक सत्र 2007-08 के लिए पाठ्यक्रम में उल्लेखित संस्थाओं को प्रवेश प्रक्रिया अर्थात् सीट वृद्धि परीक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही करवाई जावे।
  3. प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तों के आरम्भ के लिए आवश्यक कार्यवाही करवाई जावे।
  4. पाठ्यक्रम में उल्लेखित संस्थाओं को प्रवेश प्रक्रिया अर्थात् सीट वृद्धि परीक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही करवाई जावे।
  5. पाठ्यक्रम में उल्लेखित संस्थाओं को प्रवेश प्रक्रिया अर्थात् सीट वृद्धि परीक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही करवाई जावे।

शासन उप सचिव  
 प्राथमिक शिक्षा (आयोजना)

- प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय लालसाह, वासा
  2. अलंकार महिला टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल विशनावाला सिरसी रोड जयपुर
  3. डॉ० सधाकृष्ण टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, कुवानन सिटी, नागौर
  4. महाराणा प्रताप एम टी टी विद्यालय, बसेडी, धौलपुर
  5. राजस्थान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर
  6. आनन्द शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, भरतपुर
  7. वरदा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, नीम का थाना, सीकर
  8. चौधरी परमेश्वर गोपाल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नोहर डिवीजन बाईपास भाधरा, हनुमानगढ़
  9. गैन्धी देवी शिक्षण संस्थान, जयपुर
  10. एस.एन. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, धौलपुर
  11. राजत महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज विहार हीरापुरा, जयपुर
  12. इंडियन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जयपुर
  13. मानव शक्ति धीमेन्द्र कॉलेज ऑफ एज्युकेशन सगरिया, हनुमानगढ़
  14. गीता को-एज्युकेशन ट्रेनिंग कॉलेज घडसाना, श्रीगंगानगर
  15. डॉ० राजेश प्रताप नर्सरी टी टी स्कूल, बसेडी, धौलपुर
  16. श्री रघुनाथ एल नर्सरी ट्रेनिंग एज्युकेशन इस्टीमेटेड बलारानगढ़ सीकर
  17. रामानन्द टी टी कॉलेज नगौर कॉलेजी, कोटा
  18. नहरजी सूरजनाथ स्कूल टी टी कॉलेज, भरतपुर
  19. राजदुलारी महिला शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल हिन्डीन सिटी जयपुर

From: Principal  
 Rama Mand T.T. College S.T.C.  
 Mahavir colony Rampur Road Kotar  
 Ph: 0744-2460184  
 M.No: 94142-27069

शासन उप सचिव